



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

www.cghb.gov.in

संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र - कोरबा



राजेश मूनै
मंत्री
आवास, पर्यावरण, लोक निर्माण
एवं परिवहन विभाग,
छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन हेतु आवेदन आमंत्रित

भूपेन्द्र सवन्नी
अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल



सामान्य आवास योजना, हसदेव विहार जांजगीर (स्ववित्तीय आधार पर)

क्र.	स्थान/कालोनी का नाम	भवन के प्रकार एवं संख्या	भुखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग फीट. में)	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग फीट. में)	भवन का मूल्य (रु. लाख में)	पंजीयन राशि (रु. लाख में)
1	हसदेव विहार, जांजगीर	एच.आई.जी. 1 - 05	2324.00	1288.00	38.13	5.72
		एम.आई.जी. दुप्लेक्स - 11	1188.00	1012.00	22.51	3.38
		ई.डब्ल्यू.एस. - 30	435.00	312.00	6.38	0.25

नियम एवं शर्तें :- 1. पंजीयन राशि बैंकर्स चेक, पे-ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा संपदा अधिकारी, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-कोरबा के नाम पर जमा कर सकते हैं। 2. भवनों का लॉटरी के माध्यम से आबंटन किया जावेगा। 3. यदि पंजीयनकर्ता आबंटित भवन को स्वीकार नहीं करता है, तो पंजीयन राशि में से भवन मूल्य की 1.5 प्रतिशत राशि कटौती पश्चात् शेष पंजीयन राशि वापस की जावेगी। 4. अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी हेतु संभाग/प्रक्षेत्र कार्यालय कोरबा या शंकर नगर, रायपुर एवं पर्यावास भवन नया रायपुर स्थित सूचना केन्द्र से सम्पर्क करें। **पंजीयन दिनांक- 31-12-2016 तक**

सम्पर्क : 07759-221293, मो. : 9424209021, 9098244319, जांजगीर- 9617699856

मकान नहीं घर बनाते हैं - पीढ़ी से पीढ़ियों का रिश्ता बुनते हैं टोल फ्री नं. - 1800 200 6313